प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

मिशन निदेशालय
सबके लिए आवास/एस.एल.एन.ए.-सूडा(उ.प्र.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

23, सैक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल-100) लखनऊ-226010
website-www.sudaup.org
email-hfaup1@gmail.com

पत्रांकः- 1018 /01/29/HFA-19/2019-20 दिनांकः-09 मई, 2019

समस्त परि० अधि०/सहा०परि०अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत भुगतान के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वर्तमान में भुगतान प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित आवश्यक निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये :-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों को अब तक किये गये प्रथम भुगतान, जो जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित है, की नोटशीट की स्कैन कापी (लाभार्थियों के सम्पूर्ण विवरण सहित) अभिकरण मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें, भविष्य में भी इसका पालन सुनिश्चित किया जाए।
2. कतिपय जनपदों में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को किये गये भुगतान में से कुछ लाभार्थियों का पोर्टल पर कभी-कभी तकनीकी कारणवश भुगतान फेल दिखाई देने लगता है, परन्तु कुछ समय पश्चात् धनराशि लाभार्थियों के खाते में अंतरित भी हो जाती है। जनपदों द्वारा बिना जांच किए ऐसे लाभार्थियों का पुनः पीपीए जनरेट कर दिया जाता है, जिस कारण उन लाभार्थियों को दो बार भुगतान किये जाने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है। उक्त के दृष्टिगत् आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि त्रुटिवश/तकनीकी कारणवश किसी लाभार्थी को दो बार पीपीए जनरेट कर भुगतान कर दिया गया है, तो ऐसे लाभार्थियों से तत्काल धनराशि की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जाए एवं मुख्यालय को भी तथ्यों से अवगत कराया जाए। भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु परियोजना अधिकारी/सहा० परियोजना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।
3. इसके अतिरिक्त अपात्र लाभार्थियों का भी विवरण (निकायवार, डीपीआर संख्या एवं परियोजनावार इत्यादि) रखते हुए विवरण की एक प्रति अभिकरण मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध करायी जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी भी अपात्र को धनराशि का भुगतान न हो।
4. जनपदों द्वारा मुख्यालय को पी०पी०ए० प्रेषित करने के उपरान्त यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा कि भुगतान हेतु प्रेषित किये गये लाभार्थियों का चरणवार (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) जियो टैग हो चुका है एवं डुप्लीकेसी की जांच कर ली गयी है एवं भुगतान हेतु समस्त अर्हता पूर्ण कर ली गयी है। कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। इसके साथ ही पोर्टल से भी जियो टैग का स्वयं मिलान कर लें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का गंभीरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये। किसी लाभार्थी को गलत/दो बार भुगतान किये जाने एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, भविष्य में प्रकाश में आने पर समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/डूडा की होगी।

09.05.2019
(डा0 वी0के0 सिंह)
अपर निदेशक

प्रतिलिपिः-

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
2. समस्त सी0एम0एम0/सी0एल0टी0सी0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित की तत्काल उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु।

/
(डा0 वी0के0 सिंह)
अपर निदेशक

HFA